

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज0)

पीठारसीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 425 /2022

उनवान

देवी लाल पिता अमरा बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- नाबालिग केशव पिता प्रभु संरक्षक सरपरस्त माता नन्दू बावरी निवासी खामोर
- 2- छीतर पिता अमरा बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 3- जमना पुत्री प्रभु बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 4- नन्दू पत्नी प्रभु बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 5- भूरी पुत्री प्रभु बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 6- मूली पुत्र अमरा बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 7- नाबालिग रामगणी पुत्री प्रभु संरक्षक सरपरस्त माता नन्दू बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 8- नाबालिग शीला पुत्री प्रभु संरक्षक सरपरस्त माता नन्दू बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 9- बाली देवी पत्नी देवीलाल बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 10- सुवा पिता परसारा बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 11- गीसू पिता गुलाब बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अविनाश जीनगर  
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 02.01.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 4665 रकबा 0.50 है0 कुल किता 1 रकबा 0.50 हैक्टियर का प्रार्थी सहखातेदार कार्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ीसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीनाधिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6, 8 लगायत 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 7 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के सहखातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खामोर में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त सहखातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.50 हैक्टियर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौजानुसार पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाडा